

37
प्रेषक,
सी0एस0 नपलच्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
✓ सचिव,
डॉ0पी0द0ब0 उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी,
देहरादून।

भाषा अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 06 फरवरी, 2014

विषय: डॉ0पी0द0ब0 उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी, उत्तराखण्ड हेतु सृजित अस्थाई पदों की
निरन्तरता/कार्यावधि बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग के अधीन कार्यरत डॉ0पी0ताम्बर दत्त बड़थवाल हिन्दी अकादमी, उत्तराखण्ड के लिए कार्यालय ज्ञाप संख्या-233/XXXIX-21(सा0)/2009, दिनांक 31 मई, 2010 द्वारा स्वीकृत सभी अस्थायी पदों को दिनांक 28 फरवरी, 2011 तक के लिए सृजित तथा शासनादेश संख्या-638/XXXIX-21(सा0)/2009, दिनांक 25 फरवरी, 2011 द्वारा दिनांक 01.03.2011 से 29.2.2012 तक एवं शासनादेश संख्या-168/XXXIX-21(सा0)/2009, दिनांक 26 जून, 2012 द्वारा 29.02.2012 से 28.02.2013 तक एवं शासनादेश संख्या 448/XXXIX/13-21(सा0)/2009, दिनांक 7-6-13 द्वारा दिनांक 1-3-13 से दिनांक 28-2-14 तक उक्त सृजित पदों की निरन्तरता बढ़ायी गई थी। अतः अकादमी के कार्यों के संचालन के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निरन्तरता पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01.03.2014 से दिनांक 28.02.2015 तक बढ़ाये जाने की यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले समाप्त न कर दिये जाय, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-00-आयोजनेत्तर-05 भाषा विकास-102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन (लघु शीर्षक 104 के स्थान पर)-13-उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी 43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए0-1-1270/76-दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-877/दस-92-24(8)/92, दिनांक 07-11-92(यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किए जा रहे हैं।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 235/NP/XXvii(5)/2013-14, दिनांक 20-2-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सी0एस0 नपलच्याल)
सचिव।

कृ0पृ0उ0

संख्या- /XXXIX/14-21(सा0)/2009-टी.सी.-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
- 2- सचिव, डॉ०पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिन्दी अकादमी, देहरादून।
- 3- वरिष्ठ लेखाधिकारी, केन्द्रीयकृत लेखा एवं भुगतान कार्यालय, सचिवालय परिसर।
- 4- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सी०एस० नपलच्याल)
सचिव।